संख्या- /2024/156/एक-5-2024-12/2015(टी0सी0)

प्रेषक,

अनिल कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 **लखनऊ :: दिनांक** मार्च, **2024**

विषय- जनपद हापुड में नवनिर्मित कलेक्ट्रेट हापुड के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1979/12-भवन-43/2012 दिनांक 01.02.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद हापुड में नवनिर्मित कलेक्ट्रेट हापुड के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त लागत रू0 1040.94 लाख आंकलित की गई तदोपरान्त प्रश्नगत योजना हेतु शासनादेश संख्या-920/1-5-2015-12/2015 दिनांक 07 जुलाई, 2015 द्वारा मानकीकृत लागत रू0 1040.94 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 400.00 लाख एवं शासनादेश संख्या 1627/1-5-2016-12/2015 दिनांक 07 दिसम्बर, 2016 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 416.00 लाख तथा शासनादेश संख्या 3055/1-5- 2017-12/2015 दिनांक 28 दिसम्बर, 2017 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 172.84 लाख अर्थात मानकीकृत लागत रू0 1040.94 लाख के सापेक्ष रू0 988.84 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त धनराशि से कार्य पूर्ण न होने तथा कार्य पूर्ण किये जाने हेतु रू0 1774.17 लाख की पुनरीक्षित लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए पुनरीक्षित लागत रू0 1774.17 लाख की 5 प्रतिशत धनराशि रू0 88.70 लाख को रोकते हुए अवशेष अन्तर की धनराशि रू0 696.63 लाख शासनादेश संख्या-412/1-5-2018-12/2015 टी0सी0 दिनांक 06 सितम्बर, 2018 द्वारा अवमुक्त की गयी थी। जनपद हापुड में नवनिर्मित कलेक्ट्रेट हापुड के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु मिट्टी भराई कार्य हेतु आंकलित लागत रू0 142.28 लाख को सम्मिलित करते हुए पुनरीक्षित लागत रू0 1916.45 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए 05 प्रतिशत की धनराशि रू0 95.82 लाख को रोकते हुए अवशेष अन्तर की धनराशि रू0 135.16 लाख शासनादेश संख्या-328/1-5-2020-12 /2015 टी0सी0 दिनांक 13 जुलाई, 2020 द्वारा अवमुक्त की गयी है। इस प्रकार पुनरीक्षित लागत रू0 1916.45 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए 05 प्रतिशत की धनराशि रू0 95.82 लाख रोकते हुए कुल रू0 1820.63 लाख अवमुक्त किया गया है। उक्त के क्रम में प्रायोजना एवं रचना मूल्यांकन प्रभाग द्वारा पुनरीक्षित आंकलित लागत रू0 2011.11 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-28/2021/158/एक-5-2021-12/2015-टी0सी0 दिनांक 23 फरवरी, 2021 द्वारा निर्गत की गयी है। तत्क्रम में आंकलित लागत रू0 2011.11 लाख की 05 प्रतिशत धनराशि रू0 100.55 लाख रोका जाना था, चूकि इसके सापेक्ष रू0 95.82 लाख पूर्व में ही रोका गया है। अतः अन्तर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

की धनराशि रू0 94.66 लाख की 05 प्रतिशत की धनराशि रू0 4.73 लाख को रोकते हुए रू0 89.93 लाख की स्वीकृति शासनादेश संख्या-30/2021/158/एक-5-2021-12/2015-टी0सी0 दिनांक 23 फरवरी, 2021 द्वारा निर्गत की गयी है। जनपद हापुड़ कलेक्ट्रेट के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु पुनः पुनरीक्षित लागत रू0 2024.45 लाख में से 05 प्रतिशत की धनराशि रू0 101.22 लाख को रोकते हुए अवशेष अन्तर की धनराशि रू0 1923.23 लाख जबकि पूर्व में अब तक कुल रू0 1910.56 लाख की स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। इस प्रकार अवशेष धनराशि रू0 12.58 लाख की स्वीकृति निर्गत की जानी है। उक्त के क्रम में जनपद हापुड़ कलेक्ट्रेट के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा पुनरीक्षित लागत रू0 2024.45 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-06/2022/916/एक-5-2022-12/2015-टी0सी0 दिनांक 02 फरवरी, 2022 द्वारा निर्गत की गयी है। उक्त के क्रम में जनपद हापुड़ कलेक्ट्रेट के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा पुनरीक्षित लागत रू0 2024.45 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अवशेष अन्तर की धनराशि रू0 12.58 लाख शासनादेश संख्या-07/2022/41/एक-5-2022-12/2015-टी0सी0, दिनांक 02 फरवरी, 2022 द्वारा निर्गत की गयी। इस प्रकार अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 2024.45 लाख के सापेक्ष रू0 1923.14 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

3- उक्त के क्रम में जनपद हापुड़ में नवनिर्मित कलेक्ट्रेट हापुड़ के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 2024.45 लाख की रोकी गयी 05 प्रतिशत धनराशि रू0 101.22 लाख (रू0 एक करोड़ एक लाख बाइस हजार मात्र) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन- 800-अन्य व्यय-21 प्रदेश के मण्डल/ जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों के चालू कार्यो एवं भूमि क्रय हेतु-24 वृहत निर्माण कार्य मद में उपलब्ध धनराशि से अवमुक्त कर नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

(1) राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि नियमानुसार आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 को उक्त प्रयोजना हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी।

(2) वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने विषयक वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में निहित व्यवस्थानुसार राजस्व परिषद द्वारा इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कार्यदायी संस्था के पास कार्य की आवश्यकता से अधिक धनराशि न हो।

(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(4) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करायी जाय और इसकी जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(5) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो के गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

(7) प्रायोजना के संबंध में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से प्रायोजना की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जायेगी।

(8) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(9) पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कराये गये कार्यों की लागत को प्रायोजना की आंकलित लागत में यथावत् सम्मिलित करते हुए लागत को आंकलित किया गया है जिसका समस्त उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था को होगा।

प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित बाटआउट/प्रोपराइटरी श्रेणी के आइटम्स का क्रय तथा इन पर धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2014 में दिये गये निर्देश के आलोक में कार्य की वास्तविक लागत के आधार पर नियमानुसार व्यय किये जाने के उपरान्त यदि धनराशि शेष बचती है तो उसे निर्धारित प्रक्रियानुसार राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयवधि एवं स्वीकृत लागत में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा। भविष्य में प्रायोजना का पुन: कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

(13) प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 सम्मिलित है। कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्य मद में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(14) अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) प्रश्नगत कार्य हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-49/2022/934/एक-5-2021-69/2021, दिनांक 13.10.2022 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) वित्त विभाग के वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं **यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप सं0-10/2023/बी0-1-60/दस-2023-231/2023 दिनांक 19 सितम्बर, 2023** का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यावस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन- 800-अन्य व्यय-21 प्रदेश के मण्डल/ जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों के चालू कार्यो एवं भूमि क्रय हेतु-24 वृहत निर्माण कार्य** के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप सं0-10/2023/बी0-1-60 /दस-2023-231 /2023 दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में प्राप्त प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या- /2024/156(1)/एक-5-2024-12/2015(टी0सी0):: तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- कोषाधिकारी, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- जिलाधिकारी, हापुड।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ/इकाई प्रभारी, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, मेरठ इकाई मेरठ।
8- श्री राम केवल, विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट एलाटमेन्ट सिस्टम, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन ।
9- राजस्व अनुभाग-6
10- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
विशेष सचिव।

http://sha

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।